पत्रावली दिनांक 17/8/4
को पेश हो।

1 से 3 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर नहीं। वकील प्रार्थी को रूक कर आवाजें लगाई गई। हाजिर नहीं है। लिहाजा प्रार्थी वकील प्रार्थी की अदम पैरवी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है तथा दिनांक 6.6.2008 को पारित निषेधाज्ञा को निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.10.08 17:32:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर